"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2011—भाद्र 17, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-04/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस/सशस्त्र कार्यपालिक बल आरक्षक (बैण्ड) भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 7 के उप-नियम (6) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दो-ए) **शारीरिक दक्षता परीक्षा :—** शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल 100 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :—

(क)	100 मीटर दौड़	16 अंक
(ख)	1500 मीटर दौड़	16 अंक
(ग)	लंबी कूद	16 अंक
(घ)	ऊंची कूद	16 अंक
(ङ)	गोला फेंक	16 अंक
(च)	पीठ पर 25 कि.ग्रा. वजन रखकर 100 मीटर दौड़ना	20 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंकों के विस्तृत विवरण अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट किये गये हैं.

उपरोक्त सभी मदों के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा तथा सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित कुल 100 अंकों में से 60 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त मदों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा. इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराई जावेगी. रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जाएगी. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का तत्काल रिकार्ड रखने, विवादों को समाप्त कर परीक्षा प्रवेश-पत्र का कार्य करने वाले एक बहुउद्देशीय कार्ड का आदर्श नमूना इस नियम के साथ संलग्न है, जिसे अनिवार्यतः अपनाया जायेगा."

2. अनुसूची-दो के बाद निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-तीन

[नियम 7 (6) (दो-ए) देखिए]

स. क्र. (1)	आयटम (2)	समय/नाप (3)	अंक (4)
1.	100 मीटर दौड़	14 सेकेण्ड	16
		15 सेकेण्ड	12
		16 सेकेण्ड	08
		17 सेकेण्ड	04
		18 सेकेण्ड	00
2.	1500 मीटर दौड़	05 मिनट 30 सेकेण्ड या कम	16
		05 मिनट 45 सेकेण्ड	12
		06 मिनट	08
		06 मिनट 15 सेकेण्ड	04
		06 मिनट 30 सेकेण्ड	00
3.	लम्बी कूद	16 फीट	16
		15 फीट	12
		14 फीट	08
		13 फीट	04
		12 फीट	00
4.	ऊंची कूद	4 फीट	16
		03 फीट 11 इंच	12
		03 फीट 10 इंच	08
		03 फीट 09 इंच	04
		03 फीट 08 इंच	00
5.	गोला फेंक 16 पाउण्ड वजन	20 फीट	16
		19 फीट 06 इंच	12
		19 फीट	08
		18 फीट 06 इंच	04
		18 फीट	00

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	पीठ पर 25 किलोग्राम वजन रखकर 100 मीटर दौड़ना.	22 सेकेण्ड	20
		24 सेकेण्ड	15
		26 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	05
		28 सेकेण्ड से अधिक	00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 2-04/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 08-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 8th September 2011

NOTIFICATION

No. F 2-04/2-Home/SPS/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Police/Armed Executive Force Constable (Band) Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said Rule,—

1. After clause (Two) of sub-rule (6) of rule 7, the following clause shall be inserted, namely :—

"(Two-A) **Physical Efficiency Test :—** The physical Efficiency Test is compulsory for all candidates, which shall by of total 100 marks and it will include the following competitions :—

(a)	100 meter race	16 marks
(b)	1500 meter race	16 marks
(c)	Long jump	16 marks
(d)	High jump	16 marks
(e)	shot put	16 marks
(f)	100 meter race carrying 25kg. weight	20 marks

Elaborate details of the marks to be given for each result are specified in Schedule-III.

Only one chance will be given to the candidates for all the above said items and it shall be mandatory to obtain 60 percent marks out of the prescribed total 100 marks for the candidates of General Category and that of 50 percent marks for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Category. It is mandatory for all the candidates to take part in all the above said items.

On being dissatisfied with his exhibit valuation a candidate may appeal before the Selection Committee, which will be abrogated spontaneously. The decision of Selection Committee shall be final in this context. The physical proficiency Test will be conducted under sufficient light between sunrise and sunset. This test will not be carried out during night or under artifical light. The model specimen of a multi-purpose card, maintaining immediate record of physical proficiency test and exhibiting the act of admission card of examination after eradication the disputes, is appended with the rules which must be followed, compulsorily."

2. After Schedule-II, the following Schedule shall be added, namely :—

SCHEDULE-III
[See rule 7 (6) (Two-A)]

S. No. (1)	Item (2)	Time/Measurement (3)	Marks (4)
1.	100 Meter Race	14 Second	16
		15 Second	12
		16 Second	08
		17 Second	04
		18 Second	00
2.	1500 Meter Race	05 Minutes 30 Second or below	16
		05 Minute 45 Second	12
		06 Minute	08
		06 Minute 15 Second	04
		06 Minute 30 Second	00
3.	Long Jump	16 feet	16
		15 feet	12
		14 feet	08
		13 feet	04
		12 feet	00
4.	High Jump	04 feet	16
		03 feet 11 Inches	12
		03 feet 10 Inches	08
		03 feet 09 Inches	04
		03 feet 08 Inches	00
5.	Short Put 16 Pound	20 feet	16
		19 feet 06 Inches	12
		19 feet	08
		18 feet 06 Inches	04
		18 feet	00
6.	100 Meter race with 25 Kg. weight.	22 Second	20
		24 Second	15
		26 Second	10
		28 Second	05
		more than 28 Second	00

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.